दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 29-06-2025

नाबालिग से मारपीट और धमकी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

बिलासपुर | नाबालिग छात्रा से मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पर नाबालिग को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, धमकाने और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप है। रायपुर के पंडरी के एक सोसायटी में रहने वाली महिला ने पंडरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया कि 22 अप्रैल को आरोपी अक्षय, ईशान और आदर्श ने उनकी नाबालिग बेटी को डंडे से पीटने की धमकी दी। उसी दिन उसके साथ मारपीट की। अगले दिन लिफ्ट में मैं तुम्हें मार दूंगा लिखा मिला, जिससे पीड़िता बुरी तरह डर गई। पुलिस ने धारा 75, 296, 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी अक्षय शर्मा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। इसमें तर्क दिया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। एफआईआर देर से दर्ज करवाई गई है। वहीं, राज्य सरकार ने आरोपों को सही बताया। हाई कोर्ट ने केस डायरी और आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाने और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के आरोप को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।